

—चौरानवे—

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग—5
संख्या: सं0वि0क0नि0—5—2133 / 11—2006— 500(117) / 2003
लखनऊ दिनांक: 26 जुलाई, 2006
अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप द्वारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत निजी सोसाइटी की भूमि या भवन की स्ववित्त पोषित योजना के अधीन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों, संख्या—36 / सत्तर—6 / 99—77 / 98, दिनांक 19 मई, 1999, संख्या—1109 / सत्तर—6 / 200—77 / 98 टी0सी0, दिनांक 01 सितम्बर, 2000 और संख्या 605 / सत्तर—6—2005—77 / 98, दिनांक 25 फरवरी, 2005 के अधीन किसी विकास खण्ड में जिसमें कोई महाविद्यालय न हो, महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृत अनुदान हेतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1—ख के अनुच्छेद 40 के खण्ड (ख) के अधीन महाविद्यालय की बिना कब्जे की पन्द्रह वर्ष की अवधि की ऐसी बन्धक—लिखत, जो उच्च शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी, जो उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से निम्न पंक्ति का न हो, के माध्यम से राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित की गयी हो, पर प्रभार्य एक सौ रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क से, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(प्रीतम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या—क0नि0—5—2133 (1) / ग्यारह—2006—500(117) / 2003 तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 26 जुलाई, 2006 के असाधारण गजट के भाग—4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को और 20 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या क0नि0—5—2133(2) / 11—2006—500(117) / 2003 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप / सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इस अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही कृपया उन्हें कृपया यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि सम्बन्धित जनपद के समस्त उप निबन्धकों को इस अधिसूचना की प्रति सुलभ हो जाय।

3. समस्त मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश शासन।
7. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विषेश सचिव

**Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitt, Kar E�am Nibandhan Anubhag-5**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N.5-2133/11-2006-500(117)/2003 dated July 26, 2006, for general information.

No. S.V.K.N.5-2133/11-2006-500(117)/2003

Lucknow, Dated July 26, 2006

Notification

Order

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on instrument of mortgage without possession under clause (b) of Article 40 of Schedule 1-B of the said Act for fifteen years of land or building of private societies registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860) or of the Mahavidyalaya executed for a grant for the establishment of a Mahavidyalaya in a Block having no Mahavidyalaya under self-finance scheme sanctioned under the orders of the Higher Education Department issued at no. 35/VXX-6/99-77/98 dated May 19, 1999. no. 1109/Seventy-6/200-77/98 TC dated September 1, 2000 and no. 605/VXX-6-2005-77/98 dated February 25, 2005 exceeding rupees one hundred executed in favour of the Governor of Uttar Pradesh through an

officer of the Higher Education Department of not below the rank of Deputy Secretary, Government of Uttar Pradesh.

By order,
Sd/-Illegible
(Pritam Singh)
Pramukh Sachiv.